रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032021-226085 CG-DL-E-25032021-226085

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159]

No. 159]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 24, 2021/चैत्र 3, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 24, 2021/CHAITRA 3, 1943

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2021

सा.का.नि. 208(अ.).—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विद्युत अपील अधिकरण अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2004 के अधिक्रमण में, विद्युत अपील अधिकरण में कितपय पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातीं हैं; अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत अपील अधिकरण अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2021 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **लागू होना:-** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची-I के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो उक्त अनुसूची-I के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची-I के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **5.** निरर्हता: वह व्यक्ति
 - i. जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

1770 GI/2021 (1)

ii. जिसने, अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शिक्त:- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत इन नियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भृतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।
- 8. सेवा की अन्य शर्तें (1) विद्युत अपील अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची-II में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे।
 - (2) विद्युत अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्तें, जिनके लिए कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं किया गया है, समय-समय पर ऐसे नियमों के अनुसार विनियमित होंगी जो वेतन-मैट्रिक्स के तत्समान स्तर में वेतन और भत्ते प्राप्त करने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होते हैं।

अनुसूची-। [नियम 2, 3 और 4 देखें]

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा मे लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.रजिस्ट्रार	01 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।	स्तर– 14 (1,44,200- 2,18,200/- ₹)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति।	प्रतिनियुक्तिः केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य का धारक हों;	खोजबीन-सह-चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- i) अध्यक्ष, एपटेल - अध्यक्ष ii) ज्येष्ठतम तकनीकी सदस्य, एपटेल - सदस्य	लागू नहीं होता।
	(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ख) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13क 131100-216600/-₹ या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की सेवा की हो; या (ग) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 123100-215900/-₹ या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा की हो; या (घ) जो नियमित आधार पर जिला न्यायाधीश या उपर जिल्ट्रार या अपर जिला न्यायाधीश या उपर जिल्ट्रार या अपर रजिस्ट्रार का पद धारण किए हुए हो; या (ङ) जिन्होंने उच्च न्यायालय के संयुक्त रजिस्ट्रार (वेतनमान) के पद पर नियमित रूप से पांच वर्ष की सेवा की हो। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	iii) विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के अपर सचिव या उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारी, जिन्हें सचिव, विधायी विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. उप रजिस्ट्रार	02 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।	स्तर - 12 (78,800- 2,09,200/- ₹)।	लागू नहीं होता।				

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन	रः ।/ केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य	· ·	लागू नहीं होता।
	क्षेत्रों या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय	जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	
प्रतिनियुक्ति के आधार	या स्वाशासी या कानूनी संगठन या केंद्रीय या		
पर नियुक्त किए गए	राज्य सरकार के विश्वविद्यालय या	:) 270707	
ऐसे अधिकारी जो उक्त	मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे	і) अध्यक्ष, एपटेल – अध्यक्ष	
पद पर स्थायी आमेलन	अधिकारी जो किसी मान्यताप्राप्त		
के इच्छुक हैं,	विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य धारक हों;	ii) न्यायिक सदस्य या उसकी अनुपस्थिति में	
प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष	ارا، وا,	ज्येष्ठतम सदस्य, एपटेल – सदस्य	
की सेवा पूर्ण होने पर, उक्त पद पर स्थायी	(n) 2 2 - 2		
आमेलन के लिए अपने	(क) जो मूल काडर या विभाग में	iii) रजिस्ट्रार, एपटेल – सदस्य	
विकल्प का प्रयोग कर	नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए	iv) केंद्रीय सरकार के किसी	
सकते हैं तथा नियुक्ति	हों; या	अन्य मंत्रालय या विभाग से	
प्राधिकारी, अपने	(ख) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में	वेतन मैट्टिक्स के स्तर-13 या	
विवेकानुसार ऐसा	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700/-	उससे ऊपर के स्तर के समूह "क"	
निर्णय, जो वह उचित	₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद	के अधिकारी – सदस्य	
समझें, ले सकते हैं।	पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की		
	हो; या		
	(ग) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में		
	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500/-		
	₹) और स्तर 11 (67700-208700/-₹)		
	(संयुक्त सेवा) या समतुल्य में नियमित आधार		
	पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की		
	संयुक्त सेवा की हों; या		
	(घ) जो किसी उच्च न्यायालय में अपर		
	रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार या उप		
	रजिस्ट्रार का नियमित आधार पर		
	पद धारण किए हुए हों; या		
	(ङ) जिन्होंने किसी उच्च न्यायालय में		
	न्यायिक अधिकारी के रूप में पांच वर्ष की		
	नियमित सेवा की हो।		
	टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके		
	अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य		
	संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले		
	धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर		
	प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच		

वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए	
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की	
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. निदेशक (प्रशासन)	01 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।	स्तर - 12 (78,800- 2,09,200/- ₹)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्निति वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700/- ₹) के पद में ऐसे प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- i) अध्यक्ष, एपटेल – अध्यक्ष	लागू नहीं होता
	(क) जो प्रशासन, कार्मिक प्रबंधन, स्थापना मामलों, लेखांकन और प्रोटोकॉल के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव रखते हों;	ii) ज्येष्ठतम तकनीकी सदस्य, एपटेल – सदस्य iii) रजिस्ट्रार, एपटेल – सदस्य	
	(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समतुल्य धारक हों; टिप्पण-1:- प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची पोषक श्रेणी में पद की अपेक्षित अर्हता सेवा के पूरा होने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।	iv) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 या उससे ऊपर के स्तर के समूह "क" के अधिकारी – सदस्य	
	प्रतिनियुक्ति:- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वाशासी या कानूनी संगठनों, विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित		
	आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700/-₹) या		

समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियक्ति के पश्चातु पांच वर्ष की सेवा की हो; या

- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 (53700-167800/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष की संयुक्त सेवा की हों;
- (ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी निकायों या अधिकरणों में से जो प्रशासन, कार्मिक प्रबंधन, स्थापना मामलों, लेखांकन और प्रोटोकॉल के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव रखते हों; और
- (ग) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समतुल्य के धारक हों।

टिप्पण 1:- पोषक श्रेणी के विद्युत अपील अधिकरण के ऐसे अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.प्रशासनिक- सह-लेखा अधिकारी	01 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।	स्तर - 11 (67,700- 2,08,700/- ₹)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)		(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	प्रतिनियुक्ति/आमेलन के लिए :-	विभागीय प्रोन्नति स	मिति/चयन	लागू नहीं होता।
टिप्पण:- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए गए ऐसे प्रशासनिक-सह-लेखा	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वाशासी या कानूनी संगठन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी:	समिति में निम्नलिखित होंने i) अध्यक्ष, एपटेल -	गे :- - अध्यक्ष	
अधिकारी जो उक्त पद पर स्थायी आमेलन के इच्छुक	(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित	ii) ज्येष्ठतम तकनीकी		
हैं, प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, उक्त	आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या	सदस्य, एपटेल	– सदस्य	
पद पर स्थायी आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं तथा	(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 (53100-167800/-₹) और स्तर 10 (56100-177500/-₹) में नियमित	iii) रजिस्ट्रार, एपटेल	– सदस्य	
नियुक्ति प्राधिकारी, अपने विवेकानुसार ऐसा निर्णय, जो वह उचित समझें, ले सकते हैं।	आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो; (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100/-₹) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो;	iv) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय य विभाग से उप सचिव वे स्तर के समूह "क" के अधिकारी		
	(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समतुल्य के धारक हों और केंद्रीय सरकारी निकायों के कार्यालयों में प्रशासन, लेखांकन, स्थापना मामलों और प्रोटोकॉल में पांच वर्ष का अनुभव रखते हों।			
	वांछनीय: केंद्रीय/राज्य सरकार के मान्याताप्राप्त किसी लेखा विभाग द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवाएं (एसएएस) परीक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।			
	टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।			
	टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. प्रधान निजी सचिव	05 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।	स्तर - 11 (67,700- 2,08,700/- ₹)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	ऐसे अधिकारी, जो प्रोन्नत हुए हैं, के लिए दो वर्ष।

किया जा सकता है।

(10)(11)(12)(13)विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति प्रोन्नति लागु नहीं होता। प्रोन्नति:-प्रोन्नति द्वारा. जिसके न वेतन मैटिक्स के स्तर 8 (47600-151100/-या पृष्टि पर विचार करने के लिए जिसमें सकने ₹) में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने निजी सचिव के रूप निम्नलिखित होंगे:-प्रतिनियक्ति/आमेलन में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो या वेतन द्वारा मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400/-₹) में i) अध्यक्ष, एपटेल 🗕 अध्यक्ष जिन्होंने कोर्ट मास्टर के रूप में 7 वर्ष की टिप्पण:- प्रतिनियक्ति के नियमित सेवा की हो और आशलिपि (अंग्रेजी) आधार पर प्रधान निजी में 120 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों। ii) न्यायिक सदस्य या उसकी सचिव के पद पर अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम सदस्य, नियक्त किए गए ऐसे टिप्पण 1:- प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारी जो उक्त पद एपटेल – सदस्य पोषक श्रेणी में पद की अपेक्षित अर्हता सेवा के पर स्थायी आमेलन के पूरा होने की तारीख के संदर्भ में तैयार की इच्छक हैं, प्रतिनियक्ति iii) रजिस्ट्रार, एपटेल जाएगी। – सदस्य पर दो वर्ष की सेवा पर्ण टिप्पण 2:- पात्र अभ्यर्थियों को 120 शब्द प्रति होने पर. उक्त पद पर स्थायी आमेलन के लिए मिनट की गति से 5 मिनट की आशलिप iv) केंद्रीय सरकार के किसी अपने विकल्प का प्रयोग (अंग्रेजी) की कौशल परीक्षा देनी होगी तथा अन्य मंत्रालय या विभाग से कर सकते हैं तथा उसमें उत्तीर्ण होना होगा। उप सचिव के स्तर के समृह "क" नियक्ति प्राधिकारी. के अधिकारी प्रतिनियुक्ति/आमेलन: – सदस्य विवेकानुसार अपने केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य ऐसा निर्णय, जो वह क्षेत्रों या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय उचित समझें, ले सकते या स्वाशासी या काननी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अधिकरणों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 (53100-167800/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो; (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैटिक्स के स्तर 8 (47600-151100/-₹) या समत्ल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; (ख) जो आश्लिपि (अंग्रेजी) में 120 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों; और (ग) कम्प्यूटर का ज्ञान रखते हों। टिप्पण 1:-पोषक श्रेणी के विद्युत अपील अधिकरण के ऐसे अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियक्ति पर नियक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति, प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण	2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके	
अंतर्गत वे	केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य	
संगठन य	।। विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले	
धारित	किसी अन्य काडर बाह्य पद पर	
प्रतिनियु	क्ति की अवधि है, साधारणतया पांच	
वर्ष की ह	होगी।	
	3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए	
	म आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की	
अंतिम त	तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं	
होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. निजी सचिव।	05 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य।	स्तर - 8 (47,600- 1,51,100/- ₹)।	अचयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

		<u> </u>	
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर	प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400/-	विभागीय प्रोन्नति समिति /चयन समिति प्रोन्नति या पुष्टि पर विचार करने के लिए	लागू नहीं होता
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	₹) में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वैयक्तिक सहायक के रूप में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और आशुलिपि (अंग्रेजी) में 100 शब्द प्रति मिनट	जिसमें निम्नलिखित होंगे :- i) रजिस्ट्रार, एपटेल – अध्यक्ष	
टिप्पण :- प्रतिनियुक्ति	की गति रखते हों।	19 (11/8/13/13/1	
के आधार पर निजी सचिव के पद पर	टिप्पण 1:- प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची पोषक श्रेणी में पद की अपेक्षित अर्हता सेवा के	ii) निदेशक (प्रशासन), एपटेल — सदस्य	
नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी जो उक्त पद	पूरा होने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।	iii) प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी,	
पर स्थायी आमेलन के इच्छुक हैं, प्रतिनियुक्ति	·	एपटेल - सदस्य	
पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, उक्त पद पर स्थायी आमेलन के लिए	टिप्पण 2 :- पात्र अभ्यर्थियों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट की आशुलिप	iv) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग	
अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं तथा	(अंग्रेजी) की कौशल परीक्षा में भाग लेना होगा तथा उसमें उत्तीर्ण होना होगा।	से अवर सचिव के स्तर के समूह "क" के अधिकारी – सदस्य	
नियुक्ति प्राधिकारी, अपने विवेकानुसार	प्रतिनियुक्ति/आमेलन:	क जावकारा — संबर्ध	
ऐसा निर्णय, जो वह उचित समझें, ले सकते	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य		
हैं। 	क्षेत्रों या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक		
	सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्याल या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे		
	अधिकारी;		

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400/-₹) या समकक्ष में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जो आशुलिपि (अंग्रेजी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों; और (ग) कम्प्यूटर का ज्ञान रखते हों।

टिप्पण 1:- पोषक श्रेणी के विद्युत अपील अधिकरण के ऐसे अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. कोर्ट मास्टर।	04 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य।	स्तर - 7 (44,900- 1,42,400/- ₹)।	अचयन।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए ऊपरी आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) आयु -सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी	आवश्यक किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय विधि में डिग्री। कौशल परीक्षा के मानदंड- आशुलिपि (अंग्रेजी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की अविध का श्रुतलेखन और अंग्रेजी टंकक में 40 शब्द प्रति मिनट की गति से लिप्यंतरण।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

	जो आवेदन प्राप्त	संस्था से न्यूनतम 6	
	करने की अंतिम	माह की अवधि का	
	तारीख होगी।	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	
		पाठ्यक्रम।	

(10)(11)(12)(13)विभागीय प्रोन्नति समिति /चयन समिति प्रोन्नति:-लागू नहीं होता। प्रोन्नति द्वारा. जिसके न प्रोन्नति या पृष्टि पर विचार करने के लिए वेतन मैटिक्स के स्तर 6 (35400-112400/-सकने हो ₹) में ऐसे वैयक्तिक सहायक जिन्होंने पांच वर्ष जिसमें निम्नलिखित होंगे:-प्रतिनियुक्ति/आमेलन की नियमित सेवा की हो और आश्लिपि द्वारा, दोनों के न हो i) रजिस्ट्रार, एपटेल – अध्यक्ष (अंग्रेजी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति सकने पर सीधी भर्ती ii) निदेशक (प्रशासन), एपटेल – सदस्य रखते हों। द्वारा टिप्पण :- प्रतिनियुक्ति iii) प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी, टिप्पण 1:- प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची के आधार पर कोर्ट पोषक श्रेणी में पद की अपेक्षित अर्हता सेवा के मास्टर के पद पर एपटेल – सदस्य नियक्त किए गए ऐसे पूरा होने की तारीख के संदर्भ में तैयार की अधिकारी जो उक्त पद जाएगी। iv) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य पर स्थायी आमेलन के मंत्रालय या विभाग से समूह "क" इच्छुक हैं, प्रतिनियुक्ति टिप्पण 2 :- पात्र अभ्यर्थियों को 100 शब्द के अधिकारी पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण – सदस्य प्रति मिनट की गति से 5 मिनट की आशलिप होने पर, उक्त पद पर (अंग्रेजी) की कौशल परीक्षा में भाग लेना होगा स्थायी आमेलन के लिए तथा उसमें उत्तीर्ण होना होगा। अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं तथा नियक्ति प्राधिकारी, प्रतिनियुक्ति/आमेलन: अपने विवेकानुसार ऐसा निर्णय, जो वह केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य उचित समझें, ले सकते क्षेत्रों या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या स्वाशासी या कानुनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समत्लय के धारक हों; (ग) जो आशुलिपि (अंग्रेजी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों; और (घ) कम्प्यूटर का ज्ञान रखते हों। टिप्पण 1:-पोषक श्रेणी के विद्युत अपील अधिकरण के ऐसे अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर

नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की होगी।	
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.लेखाकार	01 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य।	स्तर - 6 (35,400- 1,12,400/- ₹)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन	प्रतिनियुक्ति/आमेलन :-	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति जिसमें	लागू नहीं होता।
द्वारा	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य	निम्नलिखित होंगे:-	
	क्षेत्रों या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय		
टिप्पण :- प्रतिनियुक्ति	या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक	i) रजिस्ट्रार, एपटेल — अध्यक्ष	
के आधार पर लेखाकार	सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या	,	
के पद पर नियुक्त किए	मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी;	6>0- (-0)	
गए ऐसे अधिकारी जो	आद्यकारा;	ii) निदेशक (प्रशासन), एपटेल – सदस्य	
उक्त पद पर स्थायी			
आमेलन के इच्छुक हैं, प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष	(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद	iii) प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी,	
की सेवा पूर्ण होने पर,	धारण किए हुए हों; या	एपटेल – सदस्य	
उक्त पद पर स्थायी	(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन		
आमेलन के लिए अपने	मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300/-₹) या	 iv) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य	
विकल्प का प्रयोग कर	समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर	मंत्रालय या विभाग से समूह "क"	
सकते हैं तथा नियुक्ति	नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; या	के अधिकारी – सदस्य	
प्राधिकारी, अपने	(iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स	म जावनारा — सदस्य	
विवेकानुसार ऐसा	के स्तर 4 (25500-81100/-₹) या समतुल्य		
निर्णय, जो वह उचित	में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के		
समझें, ले सकते हैं।	पश्चात् दस वर्ष की सेवा की हो; और		
	(ख) लेखा और स्थापना कार्य का ज्ञान रखते		

हों;
(ग) कम्प्यूटर का ज्ञान रखते हों।

टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि,
जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या
किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति
से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य
पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है,
साधारणतया पांच वर्ष की होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए
अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं
होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9. सहायक	01 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य।	स्तर - 6 (35,400- 1,12,400/- ₹)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा टिप्पण :- प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक के पद पर नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी जो उक्त पद पर स्थायी आमेलन के इच्छुक हैं, प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन:- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- i) रजिस्ट्रार, एपटेल — अध्यक्ष ii) निदेशक (प्रशासन), एपटेल — सदस्य iii) प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी,	लागू नहीं होता।
की सेवा पूर्ण होने पर, उक्त पद पर स्थायी आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं तथा नियुक्ति प्राधिकारी, अपने विवेकानुसार ऐसा निर्णय, जो वह उचित समझें, ले सकते हैं।	(क) (I) जो नियामत आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; या (iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) लेखा और स्थापना कार्य का ज्ञान रखते हों;	एपटेल – सदस्य iv) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से समूह "क" के अधिकारी – सदस्य	

(ग) कम्प्यूटर का ज्ञान रखते हों।	
टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि,	
जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या	
किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति	
से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य	
पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है,	
साधारणतया पांच वर्ष की होगी।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए	
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की	
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं	
होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.न्यायिक सहायक (फाइलिंग)	01 (2021) *कार्यभार के आधार	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य।	स्तर - 6 (35,400- 1,12,400/-	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
	पर परिवर्तन किया जा सकता है।		₹)।					

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन	प्रतिनियुक्ति/आमेलनः	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति जिसमें	
द्वारा	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य	निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता
टिप्पण :- प्रतिनियुक्ति के आधार पर न्यायिक सहायक (फाइलिंग) के पद पर नियुक्त किए गए	क्षेत्रों या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी;	i) रजिस्ट्रार, एपटेल – अध्यक्ष ii) निदेशक (प्रशासन), एपटेल – सदस्य	
ऐसे अधिकारी जो उक्त		iii) प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी,	
पद पर स्थायी आमेलन के इच्छुक हैं, प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष	(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या	एपटेल – सदस्य	
की सेवा पूर्ण होने पर, उक्त पद पर स्थायी आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं तथा नियुक्ति प्राधिकारी, अपने विवेकानुसार ऐसा	(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; या (iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के	iv) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से समूह "क" के अधिकारी – सदस्य	
निर्णय, जो वह उचित समझें, ले सकते हैं।	पश्चात् दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या उसके समतुल्य के धारक हों; (ग) कम्प्यूटर का ज्ञान रखते हों।		

टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि,
जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या
किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति
से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य
पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है,
साधारणतया पांच वर्ष की होगी।
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए
अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं
होगी।
अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.वैयक्तिक सहायक।	05 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य।	स्तर - 6 (35,400- 1,12,400/- ₹)।	अचयन।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए ऊपरी आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।	प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की अवधि का श्रुतलेखन और अंग्रेजी टंकक में 40	लागू नहीं होता।	ऐसे व्यक्ति जो प्रोन्नत हिए वर्ष। सीधे भर्ती के लिए व्यक्तियों के वर्ष।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न	<u>प्रोन्नति:-</u>	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति प्रोन्नति	लागू नहीं होता।
हो सकने पर	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100/-₹)		
प्रतिनियुक्ति/आमेलन	में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी घ जिन्होंने दस वर्ष	निम्नलिखित होंगे:-	
द्वारा, दोनों के न हो	की नियमित सेवा की हो और आशुलिपि	i) रजिस्ट्रार, एपटेल – अध्यक्ष	
सकने पर सीधी भर्ती	(अंग्रेजी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखते	, X, Z	
द्वारा।	हों।	63	
	टिप्पण 1 :- प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची	ii) निदेशक (प्रशासन), एपटेल – सदस्य	
टिप्पण :- प्रतिनियुक्ति	पोषक श्रेणी में पद की अपेक्षित अर्हता सेवा के		
के आधार पर वैयक्तिक	पूरा होने की तारीख के संदर्भ में तैयार की	iii) प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी,	
सहायक के पद पर	जाएगी।	एपटेल – सदस्य	

नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी जो उक्त पद पर स्थायी आमेलन के इच्छुक हैं, प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, उक्त पद पर स्थायी आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं तथा नियुक्ति प्राधिकारी, अपने विवेकानुसार ऐसा निर्णय, जो वह उचित समझें, ले सकते हैं।

िटप्पण 2:- पात्र अभ्यर्थियों को 80 शब्द प्रति । iv) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मिनट की गति से 5 मिनट की आशुलिप । मंत्रालय या विभाग से समूह " (अंग्रेजी) की कौशल परीक्षा में भाग लेना होगा तथा उसमें उत्तीर्ण होना होगा।

प्रतिनियक्ति/आमेलन :-

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी;

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
- (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात दस वर्ष की सेवा की हो: और
- (ख) आशुलिपि (अंग्रेजी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों;
- (ग) कम्प्यूटर का ज्ञान रखते हों।

टिप्पण 1:- पोषक श्रेणी के विद्युत अपील अधिकरण के ऐसे अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। iv) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से समूह "क" के अधिकारी – सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12.पुस्तकालयाध्यक्ष।	01 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य।	स्तर - 6 (35,400- 1,12,400/- ₹)।	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए ऊपरी आयु- सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो आवेदन प्राप्त करने की	आवश्यकः (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। वांछनीयः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन	<u>प्रतिनियुक्ति/आमेलन :-</u>	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति प्रोन्नति	लागू नहीं होता
द्वारा, दोनों के न हो	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य	या पुष्टि पर विचार करने के लिए जिसमें	
सकने पर सीधी भर्ती	क्षेत्रों या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय	निम्नलिखित होंगे :-	
द्वारा	या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक		
	सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या	 i) निदेशक (प्रशासन), एपटेल अध्यक्ष	
टिप्पण :- प्रतिनियुक्ति	मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे	।) गिपसम् (प्रसासग्), एपटल — जञ्चदा	
के आधार पर	अधिकारी:-		
पुस्तकालयाध्यक्ष के पद	क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद	ii) प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी,	
पर नियुक्त किए गए	, , ,	एपटेल – सदस्य	
ऐसे अधिकारी जो उक्त	धारण किए हुए हों; या		
पद पर स्थायी आमेलन	(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में	:::\ \}`\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
के इच्छुक हैं,	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300/-₹)	iii) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य	
प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष	या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर	मंत्रालय या विभाग से समूह "क"	
की सेवा पूर्ण होने पर,	नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; या	अधिकारी – सदस्य	
उक्त पद पर स्थायी	(iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स		
आमेलन के लिए अपने	के स्तर 4 (25500-81100/-₹) या समतुल्य		
विकल्प का प्रयोग कर	में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के		
सकते हैं तथा नियुक्ति	पश्चात् दस वर्ष की सेवा की हो; और		
प्राधिकारी, अपने विवेकानुसार ऐसा			
विवेकानुसार ऐसा निर्णय, जो वह उचित			
ानणय, जा वह उाचत			

समझें, ले सकते हैं।	ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से
	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की उपाधि
	या समतुल्य के धारक हों; और
	(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या
	उच्च न्यायालय या मान्यताप्राप्त
	विश्वविद्यालय या किसी अन्य सरकारी
	विभाग या उसके समतुल्य किसी
	पुस्तकालय में पुस्तकालयाध्यक्ष या
	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में पांच
	वर्ष का अनुभव रखते हों।
	ग) कम्प्यूटर का ज्ञान रखते हों।
	टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि,
	जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या
	किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति
	से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य
	पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है,
	साधारणतया पांच वर्ष की होगी।
	टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए
	अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की
	अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं
	होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13.आशुलिपिक श्रेणी-घ।	01 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ग' पद के समतुल्य।	स्तर - 4 (25,500- 81,100/- रु)।	अचयन।	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।		लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

प्रतिनियुक्ति/आमेलन : तो तो के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा : प्रतिनियुक्ति का मान्यताप्राय : प्रतिनियुक्ति के अधार पर आधार अप्रतिनियुक्ति के अधार पर आधार अप्रतिनियुक्ति के पर स्थायी आमेलन के एवं पर स्थायी आमेलन के हिए अपने ते नियमित आधार पर सदृश पर अधिकारी जो उक्त पर पर स्थायी आमेलन के हिए अपने तिवक्ति के प्रधार कि सेवर 2 (द्रि. 19,900-63,200/) या सम्तुल्य में नियमित आधार पर उस पर पर स्थायी आमेलन के लिए अपने तिकल्प का प्रयोग कर पर पर स्थायी आमेलन के लिए अपने तिकल्प का प्रयोग कर पर पर स्थायी आमेलन के लिए अपने तिकल्प का प्रयोग कर पर पर स्थायी आमेलन के लिए अपने तिकल्प का प्रयोग कर पर पर स्थायी आमेलन के लिए अपने तिकल्प का प्रयोग कर पर सकते हैं। तथा नियक्ति के प्रधार नियक्ति आधार पर उस पर पर स्थायी आमेलन के लिए अपने तिकल्प का प्रयोग कर तिल प्रपार नियक्ति के प्रधार नियक्ति के तथा नियक्ति आपर पर प्रधार नियक्ति के लिए विहित अर्हताएं रखता हो। विकानियुक्ति के प्रधार नियक्ति के अवधि अर्दी विकानियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की होगी। विवाक्तिया प्रविक्ति अर्थ के तथा विकान के प्रधार नियक्ति कित्र अर्वात के तथा पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की होगी।	(10)	(11)	(12)	(13)
िष्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण :- प्रतिनियुक्ति के आधार पर आशुलिपिक श्रेणी-घ के पद पर नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी जो उक्त पद पर स्थायी आमेलन के इच्छुक हैं, प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, उक्त पद पर स्थायी आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं तथा नियुक्ति प्राधिकारी, अपने विवेकानुसार ऐसा निर्णय, जो वह उचित	प्रितिनेयुक्ति/आमेलन:- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी:- क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (₹19,900-63,200/) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष की सेवा की हों; और (ख) स्तम्भ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखता हो। टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की	विभागीय प्रोन्नित समिति/चयन समिति प्रोन्निति या पुष्टि पर विचार करने के लिए जिसमें निम्निलिखित होंगे :- i) निदेशक (प्रशासन), एपटेल — अध्यक्ष ii) प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी, एपटेल — सदस्य iii) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से समूह "क"	` '

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14.रोकड़िया	01 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ग' पद के समतुल्य।	स्तर - 2 (19,900- 63,200/- ₹)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	प्रतिनियुक्ति/आमेलन :-	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।
टिप्पण :- प्रतिनियुक्ति के	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय		61/111
आधार पर रोकड़िया के पद	या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक		

पर नियुक्त किए गए ऐसे
अधिकारी जो उक्त पद पर
स्थायी आमेलन के इच्छुक हैं,
प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष की
सेवा पूर्ण होने पर, उक्त पद
पर स्थायी आमेलन के लिए
अपने विकल्प का प्रयोग कर
सकते हैं तथा नियुक्ति
प्राधिकारी, अपने
विवेकानुसार ऐसा निर्णय,
जो वह उचित समझें, ले
सकते हैं।

सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी:-

- क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा की हो: और
- (ख) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र या उसके समतुल्य रखता हो;
- (ग) रोकड़ और लेखा कार्यों का ज्ञान रखता हो; और
- (घ) कम्प्यूटर का ज्ञान रखता हो।

टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- i) निदेशक (प्रशासन), एपटेल अध्यक्ष
- ii) प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी,एपटेल सदस्य
- iii) केंद्रीय सरकार के किसी अन्यमंत्रालय या विभाग से समूह "क"– सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15. अवर श्रेणी लिपिक।	01 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ग' पद के समतुल्य।	स्तर - 2 (19,900- 63,200/- ₹)।	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख	आवश्यकः (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की या समतुल्य हो; (ii) कौशल परीक्षा के मानदंड- कम्प्यूटर पर 35 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण; या 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण (अनुमेय समयावधि 10	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

	होगी।	मिनट)।	

(10)	(11)	(12)		(12)
(10)	(11)	(12)	2- 20.	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, दोनों के न हो	प्रतिनियुक्ति/आमेलन :-	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन र	· ·	लागू नहीं होता।
सकने पर सीधी भर्ती	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य	पर विचार के लिए जिसमें निम्नलिनि	खत हाग :-	
द्वारा	क्षेत्रों या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय			
2111	या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या	i) निदेशक (प्रशासन), एपटेल	– अध्यक्ष	
टिप्पण :- प्रतिनियुक्ति	मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे			
के आधार पर अवर	अधिकारी:-	ii) प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी,		
श्रेणी लिपिक के पद पर	क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद	एपटेल	– सदस्य	
नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी जो उक्त पद	धारण किए हुए हों; या			
पर स्थायी आमेलन के	(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन	iii) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य		
इच्छुक हैं, प्रतिनियुक्ति	मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900/-₹) या	मंत्रालय या विभाग से समूह "क"	,	
पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण	समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर	के अधिकारी	– सदस्य	
होने पर, उक्त पद पर	नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा की हो;			
स्थायी आमेलन के लिए	और			
अपने विकल्प का प्रयोग				
कर सकते हैं तथा	(ख) स्तम्भ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने			
नियुक्ति प्राधिकारी, अपने विवेकानुसार	वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखता			
अपने विवेकानुसार ऐसा निर्णय, जो वह	हो।			
उचित समझें, ले सकते				
। हैं।	टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि,			
	जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या			
	किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति			
	से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य			
	पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है,			
	साधारणतया पांच वर्ष की होगी।			
	टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए			
	अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की			
	अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं			
	होगी।			

[फा. सं. 46/13/2017-आरएण्डआर] घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2021

G.S.R. 208(E).—In exercise of the powers conferred by clause (s) of sub-section (2) of Section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and in supersession of the Appellate Tribunal for Electricity Salary, Allowances and other Conditions of Service of the Officers and Employees Rules, 2004, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain posts in the Appellate Tribunal for Electricity, namely:-

- 1. **Short title and commencement** (1) These rules may be called the Appellate Tribunal for Electricity Salary, Allowances and other Conditions of Service of the Officers and Employees Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette
- 2. **Application** These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule-I annexed to these rules.

- 3. **Number of posts, classification and level in pay matrix** The number of said posts, their classification and level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns(2) to (4) of the said Schedule-I.
- 4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns(5) to (13) of the aforesaid Schedule-I.
- 5. **Disqualification** No person
 - i. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - ii. who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. **Power to relax** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Class, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
- 8. **Other conditions of service** (1) Officers and employees of the Appellate Tribunal for Electricity shall be entitled to the medical facilities as specified in Schedule II annexed to these rules.
 - (2) Other conditions of service of the officers and employees of the Appellate Tribunal for Electricity, for which no specific provisions have been provided, shall be regulated in accordance with such rules as are, from time to time, applicable to officers and employees of the Central Government drawing the pay and allowances in corresponding level in pay matrix.

Schedule-I [see rule 2,3, and 4]

Name of post.	Number of post.			Selection	Age-limit for direct recruits.	and other qualifications required for direct recruits.	and educational		of if
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1. Registrar.	*Subject to variation depending			Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicabl	le.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filed by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted.
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation.	Deputation :	Search-Cum-Selection Committee consisting	Not applicable.
	Officers of the Central Government or State Government or Supreme Court or High Court or District Court possessing degree in law from a recognized University or equivalent;	of :- i) Chairperson, APTEL — Chairman ii) Senior most Technical Member,	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 23

(a) Holding analogous post on regular basis; or

- (b) With two years regular service in the post in level 13 A in the pay matrix; or
- (c) With Three years regular service in the post in level 13 in the pay matrix; or
- (d) Holding the post of District Judge or Additional District Judge or Registrar or Additional Registrar, on regular basis; or
- (e) With five years regular service in the post of Joint Registrar of a High Court.

Note 1:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or Department of Central Government shall be five years.

Note 2:- The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.

APTEL – Member

 iii) Additional Secretary or above in the Ministry of Law and Justice, Legislative Department to be nominated by the Secretary, Legislative Department -Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. Deputy	02 (2021)	Equivalent to	Level – 12	Not	Not	Not	Not	Not
Registrar.	*subject	Group "A"		Applicable.	Applicable.	Applicable.	Applicable.	Applicable.
	to	post in the	(Rs.78,800-					
	variation	Central	2,09,200/-).					
	depending	Government.						
	on							
	workload.							

(10)	(11)	(12)	(13)
(10) Deputation / absorption Officer appointed on deputation basis and willing to get permanently absorbed on the said post, may on completion of two years of service on	Officers of the Central Government or State Government or High Court or District Court or Autonomous Bodies or Tribunal or Recognized Universities of Central or State Government, possessing degree in law from a recognized University or equivalent; (a) Holding analogous post on regular basis; or	(12) DPC-CUM-Selection Committee consisting of: i) Chairperson, APTEL — Chairman ii) Judicial Member or in his absence Senior-most Member, APTEL — Member iii) Registrar, APTEL — Member	(13) Not applicable.
deputation terms, exercise his/her option for permanent absorption on the said post and the appointing authority may in its discretion, take such decision, as it considers appropriate.	(b) With Five years regular service in the post in level 11 in the pay matrix; or (c) With ten years combined regular service in the post in level 10 and level 11 in the pay matrix; or (d) Holding the post of Additional Registrar or Joint Registrar or Deputy Registrar in a High Court, on regular basis; or (e) With five years regular service as Judicial Officer in a High Court. Note 1:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or other organization or Department of Central	iv) Group-"A" Officer of the level-13 or above in the Pay Matrix from any other Ministry or Department of the Central Government - Member	

Government shall be five years.
Note 2:- The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Director	01 (2021)	Equivalent to	Level – 12	Not	Not	Not	Not	Not
(Administration).	*subject	Group "A"		Applicable.	Applicable.	Applicable.	Applicable.	Applicable.
	to	post in the	(Rs.78,800-					
	variation	Central	2,09,200/-).					
	depending	Government.						
	on							
	workload.							

By Promotion failing which by deputation. Promotion (11)
Promotion failing which by deputation. Promotion which by deputation. Promotion which by deputation. California in the pay matrix. (a) having five years experience in the area of Administration, Personnel Management, Establishment matters, accounting and protocol; (b) possessing Bachelor's degree from a recognized University or equivalent. Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the required qualifying service in the post in the feeder grade. Poputation: Officers of the Central Government or State Governments or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies or Tribunals: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in the post in level 11 in the pay matrix; or (iii) with eight years combined regular service in the post in level 9 and level 10 in the pay matrix. (b) having five years experience in the area of Administration, Personnel Management, Statishishment matters accounting and protocol in officers of the Central or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies or Tribunals; and (c) possessing Bachelor's degree from a recognised University or equivalent. Note 1: The officer of the Appellate Tribunal for Electricity in the feeder category who is in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputations: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2:- The period of deputation including

the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or other organization or Department of Central Government shall be five years.	
Note 3:- The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of	

applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.Administrative-	01 (2021)	Equivalent to	Level – 11	Not	Not	Not	Not	Not
Cum-Accounts -	*subject to	Group "A" post		Applicable.	Applicable.	Applicable.	Applicable.	Applicable.
Officer.	variation	in the Central	(Rs.67,700-					
	depending	Government.	2,08,700/-).					
	on							
	workload.							

(10)	(11)	(12)	(13)
By	For deputation/absorption :-	DPC/Selection Committee consisting of :-	Not applicable.
Deputation/absorption.			
	Officer of the Central Government or State	i) Chairperson, APTEL – Chairman	
Note :- Officer	Government or Public Sector Undertakings		
appointed on the post	or Autonomous Bodies.	ii) Senior-most Technical Member,	
of Administrative-		APTEL – Member	
Cum-Accounts Officer	(a) (i) holding analogous post on regular		
on deputation basis	basis; or	iii) Registrar, APTEL - Member	
and willing to get	(ii)with five years regular services in the		
permanently absorbed	post in	iv) Group-"A" Officer of the level of	
on the said post, may	level 9 or level 10 or both combined in	Deputy Secretary from any	
on completion of two	the pay matrix or equivalent;	other Ministry or Department of the	
years of service on	(iii)with six years regular service in the	Central Government - Member	
deputation terms,	post in level 8 in the pay matrix or		
exercise his/her option	equivalent;		
for permanent absorption on the said	(b) possessing a Bachelor's degree from a		
post and the appointing	recognized University or equivalent and		
authority may in its	having five years experience in		
discretion, take such	Administrative, Accounts, Establishment		
decision, as it	maters and protocol in office of the Central		
considers appropriate	Government Bodies.		
	Desirable : A pass in Subordinate		
	Audit/Accounts Service (SAS) or equivalent		
	examination conducted by any of the		
	recognized Accounts Department of the		
	Central/State Government.		
	Note 1:- The period of deputation including		
	the period of deputation in another ex-cadre		
	post held immediately preceding the		
	appointment in the same or other		
	organization or Department of Central		
	Government shall be five years.		
	N. A. A. Til		
	Note 2:- The maximum age limit for		
	appointment by deputation shall not exceed		
	56 years as on the closing date of receipt of		
	applications.		

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Principal	05 (2021)	Equivalent to	Level – 11	Selection.	Not	Not	Not	Two years for
	Private	*subject to	Group "A" post			Applicable.	Applicable.	Applicable.	officers who
	Secretary.	variation	in the Central	(Rs.67,700-					are promoted
		depending	Government	2,08,700/-).					from Group B
		on							to this post.
		workload.							

Γ	<u></u>		1
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by	Private Secretary with six years regular	DPC/Selection Committee consisting of :-	Not applicable.
which by deputation/absorption.	service in level 8 in the pay matrix or Court	i) Chairperson, APTEL – Chairman	
deputation/absorption.	Master with seven years regular service in	i) Champerson, in TEE Chamman	
Note :- Officer	level 7 in the pay matrix, and possessing	ii) Judicial Member or in his absence	
appointed on the post	speed of 120 words per minute in	Senior-most Technical Member,	
of Principal Private	stenography (English).	APTEL – Member	
Secretary on	NI-4- 4. TH. 12 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	···\ D · · · · A DYECT . M · 1	
deputation basis and willing to get	Note 1:- The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of	iii) Registrar, APTEL - Member	
permanently absorbed	completion of the required qualifying service	iv) Group-"A" Officer of the level of	
on the said post, may	in respective post in the feeder grade.	Deputy Secretary from any	
on completion of two		other Ministry or Department of the	
years of service on	Note 2 :- Eligible candidates have to	Central Government - Member	
deputation terms,	undergo the skill test of stenography		
exercise his/her option for permanent	(English) @ 120 words per minute for 5 minutes and qualify the test.		
for permanent absorption on the said	minutes and quanty the test.		
post and the appointing	Deputation/absorption:		
authority may in its	Officer of the Central Government or State		
discretion, take such	Government or High Court or District		
decision, as it	Court or		
considers appropriate.	Autonomous Bodies or Public Sector		
	Undertakings or Tribunals or Recognized		
	Universities of Central or State Government.		
	(a) (i) holding analogous post on regular		
	basis; or		
	(ii)with five years regular services in the post in		
	level 9 in the pay matrix or equivalent;		
	(iii)with six years regular service in the		
	post in		
	level 8 in the pay matrix or equivalent;		
	and (b) possessing speed in stenography of 120		
	words per minute (English); and		
	(c) Having knowledge of computers.		
	Note 1:- The officer of the Appellate		
	Tribunal for Electricity in the feeder category		
	who is in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for		
	appointment by deputation. Similarly, the		
	deputationists shall not be eligible for		
	consideration for appointment by promotion.		
	N. A. W		
	Note 2:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre		
	post held immediately preceding the		
	appointment in the same or other		
	organization or Department of Central		
	Government shall be five years.		
	Note 3:- The maximum age limit for		
	appointment by deputation shall not exceed		
	56 years as on the closing date of receipt of		
	applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. Private Secretary.	05 (2021) *subject to variation depending on workload.	Equivalent to Group "B" post in the Central Government.	Level – 8 (Rs.47,600- 1,51,100/-).	Non- Selection.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not applicable.

(10)(11)(12)(13)Promotion :-By promotion failing DPC/Selection Committee consisting of :-Not applicable which Personal Assistant with six years regular service in level 6 in the pay matrix and i) Registrar, APTEL - Chairman deputation/absorption. possessing speed of 100 words per minute in Note Officer stenography (English). ii) Director(Admn., APTEL - Member appointed on the post Note 1:- The eligibility list for promotion of Private Secretary on iii) Admn.-Cum-Accounts deputation basis and shall be prepared with reference to the date of Officer, APTEL - Member completion of the required qualifying service willing to get permanently absorbed in respective post in the feeder grade. iv) A Group-"A" Officer of the level of on the said post, may Under Secretary from any Note 2:- Eligible candidates have to other Ministry or Department of the on completion of two undergo the skill test of stenography years of service on Central Government - Member (English) @ 100 words per minute for 5 deputation terms, exercise his/her option minutes and qualify the test. permanent for absorption on the said **Deputation/absorption:** post and the appointing Officer of the Central Government or State Government or High Court or District authority may in its discretion, take such Court or decision, Autonomous Bodies or Public Sector considers appropriate. Undertakings or Tribunals or Recognized Universities of Central or State Government. (a) (i) holding analogous post on regular basis: or (ii)with six years regular services in the post in level 6 in the pay matrix or equivalent; (b) possessing speed in stenography of 100 words per minute (English); and (c) Having knowledge of computers. Note 1:- The officer of the Appellate Tribunal for Electricity in the feeder category who is in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or other organization or Department of Central Government shall be five years. Note 3:- The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.Court	04 (2021)	Equivalent to	Level – 7	Non-	Not exceeding	Essential : Degree	Not	Not
Master.	*subject	Group "B"		Selection.	30 years (Upper	in Law with at least	Applicable.	applicable.
	to	post in the	(Rs.44,900-		age limit is	55% marks from		
	variation	Central	1,42,400/-).		relaxable for	any recognized		
	depending	Government.			Government	University.		
	on				servants upto			
	workload.				five years in	Skill test norms.		
					accordance with	Dictation of 10		
					the orders	minutes duration at		
					issued by	the speed of 80		
					Government	words per minute in		
					from time to	shorthand (English)		
					time.	and Transcription at		
						the speed of 40		
					The crucial date	words per minute in		
					for determining	typewriting in		
					the age limit	English.		
					shall be the			
					closing date for	1		
					receipt of	course of at least 6		
					application.	months duration		
						from a recognized		
						institution.		

		institution.	
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing	Promotion :-	DPC/Selection Committee consisting of :-	Not applicable.
which by	Personal Assistant with five years regula		
deputation/absorption	service in level 6 in the pay matrix and		
failing both by direct	possessing speed of 100 words per minute in		
recruitment.	stenography (English).	ii) Director(Admn., APTEL – Member	
		iii) AdmnCum-Accounts	
Note :- Officer	Note 1:- The eligibility list for promotion		
appointed on the post	shall be prepared with reference to the date o	f	
of Court Master on	completion of the required qualifying service	e iv) A Group-"A" Officer from any	
deputation basis and	in respective post in the feeder grade.	other Ministry or Department of the	
willing to get		Central Government - Member	
permanently absorbed	Note 2 :- Eligible candidates have to		
on the said post, may	undergo the skill test of stenography		
on completion of two	(English) @ 100 words per minute for :	5	
years of service on	minutes and qualify the test.		
deputation terms,			
exercise his/her option	Deputation/absorption:		
for permanent	Officer of the Central Government or State		
absorption on the said	Government or High Court or Distric		
post and the appointing	Court or Autonomous Bodies or Public		
authority may in its	Sector Undertakings or Tribunals o		
discretion, take such	Recognized Universities of Central or State	2	
decision, as it	Government.		
considers appropriate.	(a) (i) holding analogous post on regula		
	basis; or		
	(ii)with five years regular services in the		
	post in		
	level 6 in the pay matrix or equivalent;		
	(b) possessing Bachelor's degree from	a	
	recognized university or equivalent;		
	(c) possessing speed in stenography of 100		
	words per minute (English); and		
	(c) Having knowledge of computers.		
	, J		
	Note 1:- The officer of the Appellate	e	
	Tribunal for Electricity in the feeder category		
	who is in the direct line of promotion shall	1	
	not be eligible for consideration fo		
	appointment by deputation. Similarly, the		
	deputationists shall not be eligible fo	r	
	consideration for appointment by promotion.		
<u> </u>	<u> </u>	·	<u> </u>

Note 2:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or other organization or Department of Central Government shall be five years.
Note 3:- The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. Accountant.	01 (2021)	Equivalent to	Level – 6	Not applicable.				
	*subject to	Group "B"						
	variation	post in the	(Rs.35,400-					
	depending	Central	1,12,400/-).					
	on	Government.						
	workload.							

(10)	(11)	(12)	(13)
Ву	Deputation/absorption:-	DPC/Selection Committee consisting of :-	Not applicable.
deputation/absorption.	Officer of the Central Government or State Government or High Court or District	i) Registrar, APTEL – Chairman	
Note :- Officer appointed on the post	Court or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Tribunals or	ii) Director (Admn., APTEL – Member	
of Accountant on deputation basis and	Recognized Universities of Central or State Government.	iii) AdmnCum-Accounts Officer, APTEL - Member	
willing to get		, ,	
permanently absorbed on the said post, may	(a) (i) holding analogous post on regular basis; or	iv) A Group-"A" Officer from any other Ministry or Department of the	
on completion of two years of service on	(ii)with six years regular services in the post in	Central Government - Member	
deputation terms,	level 5 in the pay matrix or equivalent;		
exercise his/her option for permanent	or (iii) with ten years regular services in the		
absorption on the said	post in		
post and the appointing authority may in its	level 4 in the pay matrix or equivalent; (b) Having knowledge of Accounts and		
discretion, take such	Establishment work;		
decision, as it	(c) Having knowledge of computers.		
considers appropriate.			
	Note 1:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre		
	post held immediately preceding the		
	appointment in the same or other		
	organization or Department of Central		
	Government shall be five years.		
	Note 2:- The maximum age limit for		
	appointment by deputation shall not exceed		
	56 years as on the closing date of receipt of		
	applications.		1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9.Assistant.	01 (2021)	Equivalent to	Level – 6	Not	Not	Not applicable.	Not Applicable.	Not
	*subject	Group "B"		applicable.	applicable.			applicable.
	to	post in the	(Rs.35,400-					
	variation	Central	1,12,400/-).					
	depending	Government.						
	on							
	workload.							

(10)	(11)	(12)	(13)
By	Deputation/absorption:-	DPC/Selection Committee consisting of :-	Not applicable.
deputation/absorption.	Officer of the Central Government or State		
	Government or High Court or District	i) Registrar, APTEL –	

Note Officer appointed on the post of Assistant deputation basis and willing to get permanently absorbed on the said post, may on completion of two years of service on deputation terms, exercise his/her option for permanent absorption on the said post and the appointing authority may in its discretion, take such decision, as it considers appropriate.

Court or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Tribunals or Recognized Universities of Central or State Government.

- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or
- (ii)with six years regular services in the post in
- level 5 in the pay matrix or equivalent; or
- (iii) with ten years regular services in the post in
 - level 4 in the pay matrix or equivalent;
- (b) Having knowledge of Accounts and Establishment work;
- (c) Having knowledge of computers.

Note 1:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or other organization or Department of Central Government shall be five years.

Note 2:- The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Chairman

- ii) Director(Admn., APTEL Member
- iii) Admn.-Cum-Accounts
 Officer, APTEL Member
- iv) A Group-"A" Officer from any other Ministry or Department of the Central Government - Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10. Judicia	1 01 (2021)	Equivalent to	Level – 6	Not	Not applicable.	Not applicable.	Not Applicable.	Not
Assistant	*subject to	Group "B" post		applicable.				applicable.
(Filing).	variation	in the Central	(Rs.35,400-					
	depending	Government.	1,12,400/-).					
	on							
	workload.							

(10)	(11)	(12)	(13)
By	Deputation/absorption:-	DPC/Selection Committee consisting of :-	Not applicable.
deputation/absorption.	Officer of the Central Government or State		
N	Government or High Court or District	i) Registrar, APTEL — Chairman	
Note :- Officer appointed on the post	Court or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Tribunals or	ii) Director (Admn., APTEL – Member	
of Judicial Assistant	Recognized Universities of Central or State	iii) AdmnCum-Accounts	
(Filing) on deputation	Government.	Officer, APTEL - Member	
basis and willing to get permanently absorbed on the said post, may on completion of two years of service on deputation terms, exercise his/her option for permanent absorption on the said post and the appointing authority may in its discretion, take such decision, as it considers appropriate.	 (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with six years regular services in the post in level 5 in the pay matrix or equivalent; or (iii) with ten years regular services in the post in level 4 in the pay matrix or equivalent; (b) possessing degree in law from a recognized University or equivalent (c) Having knowledge of computers. 	iv) A Group-"A" Officer from any other Ministry or Department of the Central Government - Member	
	Note 1:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre		
	post held immediately preceding the		
	appointment in the same or other		
	organization or Department of Central		
	Government shall be five years.		

Note 2:- The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of	
applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.Personal	05 (2021)	Equivalent to	Level – 6	Non-	Not	Essential : Degree	Not	Two years
Assistant.	*subject	Group "B"		Selection.	exceeding 30	in Law with at	Applicable.	for those
	to	post in the	(Rs.35,400-		years (Upper	least 55% marks		who are
	variation	Central	1,12,400/-).		age limit is	from any		promoted
	depending	Government.			relaxable for	recognized		from
	on				Government	University.		Group-C to
	workload.				servants upto	·		this post.
					five years in	Skill test norms.		Two years
					accordance	Dictation of 10		for Direct
					with the	Minutes duration at		Recruit.
					orders issued	the speed of 80		
					by	words per minute		
					Government	in shorthand		
					from time to	(English) and		
					time.	Transcription at the		
						speed of 40 words		
					The crucial	per minute in		
					date for	typewriting in		
					determining	English.		
					the age limit			
					shall be the	Computer training		
					closing date	course of at least 6		
					for receipt of	months duration		
					application.	from a recognized		
						institution.		

Note 1:- The officer of the Appellate Tribunal for Electricity in the feeder category who is in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
Note 2:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or other organization or Department of Central Government shall be five years.	
Note 3:- The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12. Librarian.	01 (2021)	Equivalent to	Level – 6	Not	Not	Essential: (i) Bachelor's	Not	Two years
	*subject to	Group "B" post		Applicable.	exceeding 30	Degree in Library	Applicable.	for Direct
	variation	in the Central	(Rs.35,400-		years (Upper	Science or Library and		Recruit.
	depending	Government.	1,12,400/-).		age limit is	Information Science from		
	on				relaxable for	a recognized University		
	workload				Government	or Institue;		
					servants upto			
					five years in			
						professional experience		
						in a Library under the		
						Central Government or		
						State Government or		
						Autonomous or Statutory		
						Organization/PSU/		
					time.	University.		
						Desirable : Diploma in		
						Computer Application		
						from a recognized		
					_	University or Institute.		
					shall be the			
					closing date			
					for receipt of			
					application.			

(10)	(11)	(12)	(13)
(10) By deputation/absorption failing both by direct recruitment. Note: Officer appointed on the post of Librarian on deputation basis and willing to get permanently absorbed on the said post, may	Deputation/absorption: Officers of the Central Government or State Government or High Court or District Court or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Tribunals or Recognized Universities of Central or State Government: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with six years regular service in the post in level 5 in the pay matrix or	i) Registrar, APTEL — Chairman ii) Director(Admn., APTEL — Member iii) AdmnCum-Accounts Officer, APTEL — Member iv) A Group-"A" Officer from any other Ministry or Department of the Central Government — Member	(13) Not applicable.
on the said post, may on completion of two years of service on deputation terms, exercise his/her option for permanent	equivalent; or (iii) with ten years regular service in the post in level 4 in the pay matrix or equivalent; (b) (i) possessing a degree in Library		
absorption on the said post and the appointing authority may in its	Science from a recognized University or equivalent (ii) having five years experience as		
discretion, take such	Librarian or Assistant Librarian in the		

decision, as it considers appropriate.	Library of the Central Government or State Government or High Court or recognized University or any other Government Department or equivalent.
	(c) Having knowledge of computers.
	Note 1:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or other organization or Department of Central Government shall be five years.
	Note 2:- The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13. Stenographer	01 (2021)	Equivalent to	Level – 4	Non-	Between 18-27			Two years
Grade-D.	*subject to	Group "C" post		Selection.	Years	12 th class pass	Applicable.	for Direct
	variation	in the Central	(Rs.25,500-		(Relaxable for	from a		Recruit.
	depending	Government.	81,100/-).		Government	recognized		
	on				Servant upto 40			
	workload.				years in case of	equivalent;		
					general	(ii) Skill Test		
					candidates and	Norms:		
					upto 45 years in	Dictation of 10		
					case of	minutes		
					candidates	duration at the		
					belonging to the			
					Scheduled	words per		
					Castes and the			
					Scheduled	Shorthand		
						(English) and		
					accordance with			
					the instructions			
					or orders issued			
					by the Central			
					Government	typewriting		
						(English) on		
					time).	computer.		
					The crucial date			
					for determining			
					the age limit			
					shall be the			
					closing date for			
					receipt of			
					application.			

(10)	(11)	(12)	(13)
By	Deputation/absorption :-	DPC/Selection Committee consisting of :-	Not applicable.
deputation/absorption	Officers of the Central Government or State		
failing both by direct	Government or High Court or District Court	i) Director (Admn.), APTEL – Chairman	
recruitment. Note :- Officer	or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Tribunals or Recognized Universities of Central or State Government:-	ii) AdmnCum-Accounts Officer, APTEL - Member	
appointed on the post		iii) A Group-"A" Officer from any	
of Stenographer	(a) (i) holding analogous post on regular	other Ministry or Department of the	
Grade-D on deputation	basis; or	Central Government - Member	
basis and willing to get	(ii) with eight years regular services in the		
permanently absorbed	level 2		
on the said post, may	in the pay matrix or equivalent; and		
on completion of two			
years of service on	(b) possessing the qualifications prescribed		

deputation terms, exercise his/her option for permanent absorption on the said post and the appointing authority may in its discretion, take such decision, as it considers appropriate

for direct recruits under column 7

Note 1:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or other organization or Department of Central Government shall be five years.

Note 2:- The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14. Cashier.	01 (2021)	Equivalent to	Level – 2	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not	Not applicable.
	*subject to	Group "C"					Applicable.	
	variation	post in the	(Rs.19,900-					
	depending on	Central	63,200/-).					
	workload.	Government.						

(10)(11)(12)(13)Deputation/absorption :-By deputation/absorption. DPC/Selection Committee consisting of :-Not applicable. Officers of the Central Government or Note: Officer appointed State Government or High Court or i) Director (Admn.), APTEL - Chairman on the post of Cashier on District Court or Autonomous Bodies or ii) Admn.-Cum-Accounts Public Sector Undertakings or Tribunals or deputation basis and willing Officer, APTEL - Member Recognized Universities of Central or permanently get absorbed on the said post. State Government :iii) A Group-"A" Officer from any may on completion of two other Ministry or Department of the service years of on (a) (i) holding analogous post on regular Central Government - Member deputation terms, exercise basis; or his/her option for (ii) with three years regular services in permanent absorption on the the said post and the post in the level 1 in the pay matrix or appointing authority may in equivalent; and its discretion, take such decision, as it considers (b) possessing 10+2 pass certificate from a appropriate. recognized Board or equivalent; (c) having knowledge of cash and accounts work; and (d) having knowledge of computer. Note 1:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or other organization or Department of Central Government shall be five years. Note 2:- The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15.Lower	01 (2021)	Equivalent to	Level – 2	Not	Between 18-27	Essential: (i)	Not	Two years
Division	*subject	Group "C"		applicable.	Years (Relaxable	12 th class pass	Applicable.	for Direct
Clerk.	to	post in the	(Rs.19,900-		for Government	from a		Recruit.
	variation	Central	63,200/-).		Servant upto 40	recognized		
	depending	Government.			years in case of	Board or		
	on				general candidates	equivalent;		
	workload.				and upto 45 years	(ii) Skill Test		
					in case of	Norms:		
					candidates	English		
					belonging to the	typing with		

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 35

	Sahadulad Castas	the speed of	
	Scheduled Castes	the speed of	
	and the Scheduled	35 words per	
	Tribes in	minute; or	
	accordance with	Hindi typing	
	the instructions or	with the	
	orders issued by the	speed of 30	
	Central	words per	
	Government from	minute (Time	
	time to time).	allowed 10	
		minutes) on	
	The crucial date for	computer.	
	determining the age		
	limit shall be the		
	closing date for		
	receipt of		
	application		

(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation/absorption failing both by direct recruitment. Note: Officer appointed on the post of Lower Division Clerk on deputation basis and willing to get permanently absorbed on the said post, may on completion of two years of service on deputation terms, exercise his/her option for permanent absorption on the said post and the appointing authority may in its discretion, take such decision, as it considers appropriate	Deputation/absorption: Officers of the Central Government or State Government or High Court or District Court or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Tribunals or Recognized Universities of Central or State Government: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or	DPC/Selection Committee consisting of :- i) Director (Admn.), APTEL — Chairman ii) AdmnCum-Accounts Officer, APTEL — Member iii) A Group-"A" Officer from any other Ministry or Department of the Central Government — Member	Not applicable.

[F. No. 46/13/2017-R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.